सत्यमेव जयते

रविशंकर श्रीवास्तव
आई.ए.एस.

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
जन अभियोग निराकरण विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर

अ.शा. पत्र क्रमांक प. 16(44)आरपीजी/लोसेगाअधि/2018
जयपुर, दिनांकः- 23.01.2019

.....................,

मैं आपका ध्यान **राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011** की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जिसके तहत वर्तमान में 25 विभागों की 221 सेवाऐं प्रदान की जा रही है। अधिनियम का उद्देश्य किसी भी लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदेश की जनता को उनके कार्यालय संबंधी सेवाऐं निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान करने की गांरटी देना है।

अधिनियम को व्यापक बनाने की दृष्टि से राज्य के सभी कार्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त सेवाओं को अधिनियम के दायरे में लाना प्रस्तावित है। अतः आपके अधीनस्थ विभाग/बोर्ड/निगम/संस्था/कार्यलय द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी सेवा को अधिनियम के दायरे से यदि आप मुक्त रखना चाहते है तो मय उचित कारण के प्रस्ताव भिजवावें। इस संबंध में आपके प्रस्ताव अथवा जवाब 15 फरवरी तक प्राप्त नहीं होने पर यह समझा जायेगा की आपके विभाग की समस्त सेवाएँ उक्त अधिनियम के दायरे में लाने पर आपको कोई आपत्ति नहीं है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

(रविशंकर श्रीवास्तव)

श्री.......................
अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव/समस्त विभागाध्यक्ष
....

Scanned by CamScanner